न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

GCMS NO. - 2025/422
मिसल नम्बर– 77 / 2025

1 सलीम अहमद उम्र 62 साल पुत्र रजा मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी झालापुरा कोटा हाल निवासी म न 3 क 53 एक विज्ञान नगर कोटा राज0

......प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा

.... अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांक 25/3/26

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल आर एक्ट 1956

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है:–

खसरा संख्या 596/2 रकबा 0.10 है0 आराजी वाके ग्राम दसलाना तह0 लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित है। जो प्रार्थी के खाते दर्ज रिकोर्ड है जिस पर वह मालिक व काबिज चला आ रहा है।

प्रार्थी के खाते की उक्त आराजी शुरू से ही प्रार्थी के खाते की अन्य आराजी खसरा संख्या 596/1 के लगवा स्थित चली आ रही है और उसी अनुरूप प्रार्थी काबित काश्त है। किन्तु तहसील लडपुरा द्वारा सेग्रीगेशन कार्य के दौरान प्रार्थी के खाते दर्ज उक्त खसरा संख्या 596/2 की तरमीम नक्शे मे गलत रूप से मौके से भिन्न स्थान पर खसरा संख्या 593/1 की जगह पर कर दी तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त की जगह पर खसरा संख्या 593/1 की तरमीम कर दी जिसके संबंध मे प्रार्थी द्वारा तहसील मे जाकर नक्शे ट्रेस मे दुरूस्ती मौके पर कब्जा अनुसार करवाने का निवेदन किया लेकिन इस पर तहसील द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई इस कारण प्रार्थी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे पेश करना आवश्यक हो गया है।

प्रार्थी की आराजी को गलत रूप से नक्शा ट्रेस मे दर्शाने से प्रार्थी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है जबकि प्रार्थी अपनी आराजी पर खसरा संख्या 593/2 के लगवा काबिज काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

नक्शा ट्रेस मे जो त्रुटि हो रही है वह एक क्लेरिकल मिस्टेक है जिसको दुरूस्त करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है

प्रार्थी की आराजी के संबंध मे किसी न्यायालय मे कोई वाद या कार्यवाही लंबित नही है और ना ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी की भूमि की कमी करवाने या रकबा बढ़वाने के संबंध मे कोई सहायता चाही गयी है। प्रार्थी द्वारा मौके पर कब्जे अनुसार नक्शा ट्रेस मे तरमीम दुरूस्ती का निवेदन किया है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खाते दर्ज आराजी खसरा संख्या 596/2 वाके ग्राम दसलाना तह0 लाडपुरा जिला कोटा का नक्श ट्रेस मे तरमीम मौके अनुसार खसरा संख्या 593/2 के लगवां खसरा संख्या 593/1 के स्थान पर किये जाने का तथा खसरा संख्या 593/1 को वर्तमान नक्शा शीट मे दर्ज खसरा संख्या 593/2 के स्थान पर किये जाने का तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा के नाम आदेश जारी किया जाकर राजस्व रिकोर्ड नक्शा ट्रेस मे दुरूस्त किय जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण मे पटवारी दसलाना की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:–

ग्राम दसलाना मे खसरा संख्या 596/2 रकबा 0.10 है0 वर्तमान जमाबंदी अनुसार खातेदार सलीम अहमद पुत्र रजा मोहम्मद दर्ज रिकोड है तथा खसरा नम्बर 593/1 रकबा 0.23 है0 नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज है। ग्राम दसलाना के राजस्व नक्शे व मौके अनुसार खसरा संख्या 593/2 पर खातेदार सलीम अहमद का कब्जा है। तथा खसरा संख्या 593/2 के समीपस्थ पश्चिमी दिशा मे स्थित खसरे पर भी (जो कि वर्तमान नक्शे मे खसरा संख्या 593/1 दर्ज है) खातेदार सलीम अहमद का ही कब्जा चला आ रहा है। सहवन से तरमीम करते समय खसरा संख्या 596/2 के स्थान पर नक्शे मे 593/1 दर्ज हो गया तथा खसरा संख्या 593/1 के स्थान पर 596/2 दर्ज हो गया है अतएव उक्त खसरों मे राजस्व नक्शे मे मौकानुसार तरमीम शुद्धि किया जाना अपेक्षित है।

बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया व बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

पत्रावली मे संलग्न रिपोर्ट पटवारी मे स्पष्टतया अंकित किया गया है कि सहवन से तरमीम करते समय खसरा संख्या 596/2 के स्थान पर नक्शे मे 593/1 दर्ज हो गया तथा खसरा संख्या 593/1 के स्थान पर खसरा संख्या 596/2 दर्ज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

हो गया है। उक्त आधार पर रिपोर्ट मे खसरो मे राजस्व नक्शे मे मौका अनुसार शुद्धि किये जाने की सिफारिस की गई है।

उक्त परिस्थिति मे जबकि प्रार्थी के कथनों को तहसील रिपोर्ट मे स्वीकार किया गया है। हम प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम दसलाना के राजस्व नक्शे मे खसरा नंबर 593/1 के स्थान पर 596/2 तथा खसरा नम्बर 596/2 के स्थान पर 593/1 दर्ज किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा